मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 9 फरवरी, 2024 (माघ 20, 1945)

समय 11.00 बजे दिन.

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **सुश्री निर्मला भूरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री,** बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम की धारा 20 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगी.

(2) **श्री विश्वास कैलाश सारंग, सहकारिता मंत्री,** मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 (1) (घ) की अपेक्षानुसार-

(क) मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-2023,

(ख) मध्यप्रदेश राज्य पावरलूम बुनकर सहकारी संघ मर्यादित, बुरहानपुर (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-2023,

(ग) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-2023,

(घ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-2023,

(ङ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित, भोपाल (म.प्र.) का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-2023, एवं

(च) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल का संपरीक्षित वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-2023

पटल पर रखेंगे.

(3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ऊर्जा मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(i) मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023,

(ii) मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022-2023, तथा

(iii) एम.पी.पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का 16 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री राकेश शुक्ला, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का 39 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(5) **श्री इन्दर सिंह परमार, उच्च शिक्षा मंत्री,** मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 47 की अपेक्षानुसार जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे.

(6) **श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, राज्यमंत्री संस्कृति,** कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी. लिमिटेड का 23 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-2023 पटल पर रखेंगे.

(7) **श्री दिलीप अहिरवार, राज्यमंत्री वन,** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(i) म.प्र.प्लास्टिक पार्क डेव्हपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तिम लेखे वर्ष 2022-2023,

(ii) डी.एम.आई.सी. पीथमपुर जल प्रबंधन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020, तथा

(iii) डी.एम.आई.सी. विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **श्री प्रदीप लारिया, सदस्य,** सागर जिले में पाला एवं तुषार से फसल नष्ट होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्री महेश परमार, सदस्य,** प्रदेश में स्थापित जल गुणवत्ता एवं निगरानी प्रयोगशालाओं में अनियमितता होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. आवेदनों की प्रस्तुति.

(1) **श्री फूलसिंह बरैया, सदस्य,** दतिया जिले के ग्राम घिसलनी से उनाव रोड तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(2) **श्री मथुरालाल डामर, सदस्य,** रतलाम जिले के ग्राम मागरोल में पुलिया निर्माण कराये जाने,

(3) **श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, सदस्य,** कटनी जिले के ग्राम सिजहरा से बम्हनगवां तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(4) **श्री केशव देसाई, सदस्य,** भिण्ड जिले के ग्राम सिरसौदा में भिड़किरी से रूंड सरकार तक की सड़क का निर्माण कराये जाने,

(5) **श्री रामनिवास रावत, सदस्य,** प्रदेश के शासकीय सेवक खिलाड़ियों को टी.ए./डी.ए. का प्रदाय किये जाने,

(6) **श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर, सदस्य,** टीकमगढ़ जिले के ग्राम सतपरा से सैपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(7) **श्री श्रीकांत चतुर्वेदी, सदस्य,** मैहर जिले के ग्राम मड़ई एवं तिन्दुहरा के मध्य स्थित राजस्व भूमि पर 33/11000 के.व्ही. का विद्युत पावर हाउस स्थापित कराये जाने,

(8) **श्री विपिन जैन, सदस्य,** मन्दसौर जिले के ग्राम मोहम्मदपुरा के मुख्य सड़क से जोड़ने वाली पुलिया का निर्माण कराये जाने,

(9) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य,** रतलाम जिले के जावरा अंतर्गत वन स्टाप सेन्टर के भवन की स्वीकृति प्रदान करने,

(10) **श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य,** अनूपपुर जिले के ग्राम खूंटाटोला जैहतरी में शंकर शाह-रघुनाथ शाह की मूर्ति की स्थापना कराये जाने,

(11) **श्री अनिल जैन, सदस्य,** निवाड़ी जिले में बस स्टैण्ड का निर्माण कराये जाने,

(12) **श्री सुरेश राजे, सदस्य,** ग्वालियर जिले के डबरा अंतर्गत ग्राम पंचायत नुन्हारी आदिवासी दफाई में सामुदायिक भवन का निर्माण कराये जाने,

(13) **डॉ. हिरालाल अलावा, सदस्य,** धार जिले के ग्राम पंचायत कल्लादा के ग्राम बेलाली से मुख्य मार्ग तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(14) **डॉ. सतीश सिकरवार, सदस्य,** ग्वालियर शहर के वार्ड क्र.-60 के हुरावली में ए ब्लॉक से डी ब्लॉक तक नवीन सीवर लाईन डाले जाने,

(15) **श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य,** मण्डला जिले के ग्राम कठईडीह से कुण्डपानी तक एवं अन्य ग्रामों में ग्रेवल सड़क का निर्माण कराये जाने,

(16) **श्री राजन मण्डलोई, सदस्य,** बड़वानी जिले के ग्राम सेमलेट से भादल तक सड़क का निर्माण कराये जाने,

(17) **श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य,** शिवपुरी जिले के ग्राम मिहावरा एवं दोनी के मध्य नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,

(18) **श्री मोन्टू सोलंकी, सदस्य,** बड़वानी जिले के ग्राम नक्टीरानी में गोई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने,

(19) **श्रीमती सेना महेश पटेल, सदस्य,** अलीराजपुर जिले के ग्राम खामडका से केवड़ी विकासखण्ड के कठ्ठीवाडा मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(20) **श्री अभय मिश्रा, सदस्य,** रीवा जिले के सेमरिया अंतर्गत स्नातकोत्तर विषयों का विस्तार कर नवीन संकाय का संचालन कराये जाने,

(21) **श्री बाला बच्चन, सदस्य,** बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत भौरवाड़ा तालाब रोड से घुसगांव, पटेलपुरा, डाटापुरा ओझर रोड तक का मार्ग निर्माण कराये जाने,

(22) **श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य,** धार जिले के विकासखण्ड सरदारपुर अंतर्गत विभिन्न शासकीय माध्यमिक विद्यालयों का हाई स्कूल में उन्नयन कराये जाने,

के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

5. वर्ष 2023-2024 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

2 घण्टे

"दिनांक 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 01, 02, 03, 05, 06, 07, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 44, 48, 50, 52, 54 तथा 55 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर अट्ठाईस हजार छः सौ पचपन करोड़, पंद्रह लाख, तेरह हजार, एक सौ बयालीस रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये."

6. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री (वित्त), मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2024 (क्रमांक 4 सन् 2024) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री रामेश्वर शर्मा, सदस्य द्वारा दिनांक 7 फरवरी, 2024 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का ..... पुनर्ग्रहण

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.".

8. अशासकीय संकल्प.

(1) **श्री संतोष वरकड़े**, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "सदन का यह मत है कि जबलपुर जिले के सिहोरा अंतर्गत कुण्डम विकासखण्ड को अनुसूचित (अधिसूचित) क्षेत्र घोषित किया जाए.".

(2) **श्री सुदेश राय, सदस्य,** निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "सदन का यह मत है कि सीहोर विधान सभा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अहमदपुर का नाम परिवर्तित कर "देवीपुरा" किया जाए.".

(3) **श्री अभय मिश्रा, सदस्य,** निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "सदन का यह मत है कि रीवा जिले के विधान सभा क्षेत्र सेमरिया में नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया की कई वर्ष पूर्व घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग सतना-सेमरिया एवं सेमरिया बायपास (रिंगरोड) होकर सिरमौर-डभौरा मार्ग का निर्माण किया जाये.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 8 फरवरी, 2024